



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28102025-267207
CG-DL-W-28102025-267207

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, अक्टूबर 19—अक्टूबर 25, 2025, शनिवार/ आश्विन 27—कार्तिक 3, 1947
No. 38] NEW DELHI, OCTOBER 19—OCTOBER 25, 2025, SATURDAY/ASVINA 27—KARTIKA 3, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार और अभियोजक) भर्ती नियम, 2013 और 2015 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक लोक अभियोजक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सहायक लोक अभियोजक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सहायक लोक अभियोजक) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक लोक अभियोजक।	42* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 रु.) में स्तर - 7	लागू नहीं होता।	30 वर्ष की आयु से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री। टिप्पण-1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण:- केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए न्यूनतम 'दो सप्ताह की अवधि' का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण :- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद नियमित आधार पर धारण किया हुआ हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-112400 रु०) में या समतुल्य में पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (सतर्कता) या संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण; विभाग - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	2. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सदस्य;	
	3. निदेशक अभियोजन, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सदस्य।	

[फा. सं. 213/15/2024-ए.वी.डी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Departmental of Personnel and Training)**

New Delhi, the 14th October, 2025

G.S.R. 172.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment Rules, 2013 and 2015, in so far as they relate to the post of Assistant Public Prosecutor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Public Prosecutor, in the Central Bureau of Investigation, namely :-

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Assistant Public Prosecutor) Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number, classification and level in pay - matrix.**-The number of the said post, its classification and level in the pay - matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**- The method of recruitment to the said post, age - limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**- No person, -
(a) who has entered into or contracted, a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

- Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay level in pay - matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Public Prosecutor	42* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level - 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age - limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential: Bachelor Degree in Law from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Service Public Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable.	Two years. Note:- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of Central Government- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in post in level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400) or equivalent; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column number 7. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age - limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Additional Secretary (Vigilance) or Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training – Chairperson; (ii) Joint Director, Central Bureau of Investigation – Member; (iii) Director of Prosecution, Central Bureau of Investigation – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 213/15/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 173.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और फरक्का बेरेज परियोजना (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, फरक्का बैराज परियोजना, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) [पूर्व में हिंदी अधिकारी का पद] के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह-'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-10 (56100-177500/- रुपये)।	चयन	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विदित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रही हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रही हो; या	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए टिप्पण-परिरीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विदित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेशकालिक प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री, और डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो;

और

(2) हिंदी में शब्दावली का प्रयोग/अनुप्रयोग (शब्दावली संबंधी कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य, अधिमानतः केंद्रीय या राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के तहत तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का तीन वर्ष का अनुभव;

या

केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में शोध का तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: -

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर हिंदी के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी अन्य भाषा का अध्ययन।

टिप्पणी 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति: सीधे प्रोन्नति होगी/या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने हेतु किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: - वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400/- रूपए) में ऐसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, जिसने उस ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विदित कार्य क्षेत्रों में कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के विषय में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के विषय में भी विचार किया जाएगा, परन्तु कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्र सेवा, ऐसी अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53,100-1,67,800/- रूपए) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो या	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु) जिसमें निम्न शामिल हैं: - 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य और 3. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने वाली) जिसमें निम्न शामिल हैं: - 1. संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष; 2. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य और 3. उप सचिव या निदेशक, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।	सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है।

	(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो। या (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो। और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विदित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने का विचार करने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--

[फा. सं. ए.12018/21/2023- ई-III]

रवि रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 21st October, 2025

G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Farakka Barrage Project (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) [earlier post of Hindi Officer] in the Farakka Barrage Project, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Assistant Director (Official Language)(Group-'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a.) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b.) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language).	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500/-).	Selection.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any
(7)	(8)	(9)
Essential: (1) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;	Not applicable.	One year for direct recruits and Promotees. Note for direct recruit- there shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful

OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and (2) Three years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-verse, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments/ Union Territory Administration or Autonomous Body or Statutory Organisations/ Public sector undertaking/ Universities or recognised research or educational institutions; OR Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Union Territory administration or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public sector undertaking or Universities or recognised research or educational institutions. Desirable: - Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognised Board. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		completion of the probation as prescribed by the Central Government.
---	--	---

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation,	Promotion: - Junior Translation Officer in	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for	Consultation with Union Public

failing both by direct recruitment.	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the Pay Matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed at least two week training in the areas as prescribed by the competent authority. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-9 (Rs. 53,100-1,67,800/-) in the Pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. Or (iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-8 (Rs. 47600- Rs. 151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.Or (iv) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-7 (Rs.44900- Rs. 142400) in the Pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	promotion) consisting of: - 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member and 3. General Manager, Farakka Barrage Project – Member. Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee (considering confirmation) consisting of: - 1. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Chairman; 2. General Manager, Farakka Barrage Project – Member and 3. Deputy Secretary or Director, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.	Service Commission is necessary for Direct Recruitment and Promotion.
--	---	--	--

	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	---	--	--

[F. No. A.12018/21/2023-E-III]

RAVI RANJAN, Under Secy.